अपील सूचना अधिकार संख्या 13/2019 (RCMS 2019/00047) ओमप्रकाश इन्दोरिया निवासी वार्ड नं 05 हाथीपुरा बास कस्बा, भादरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ –मोबाईल नं. 97849–34326 बनाम तहसीलदार (भू.अ.), श्रीकरणपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.02.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री ओमप्रकाश इन्दोरिया उपस्थित नहीं हुए एवं अप्रार्थी तहसीलदार, श्रीकरणपुर की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री भजन सिंह, कानूनगों उपस्थित है। उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावाली किया गया।

विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाएं प्राप्त करने हेतु प्रार्थी का कोई प्रार्थना पत्र, इस अपील पत्र से पूर्व उनके कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। अब चूंकि अपील पत्र के साथ अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति दिनांक 18.02.2019 को प्राप्त हुई है जिसके अनुसार अपीलार्थी ने लगभग 40 वर्ष पुराने वेतन बिलों की प्रतियां चाही है। रिकॉर्ड काफी पुराना है, जो तलाश करवाया जा रहा है, जो उपलब्ध होते ही अपीलार्थी को वांछित नकले शीघ्र उपलब्ध करवा दी जावेगी।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री ओमप्रकाश इन्दौरिया ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.11.2019 के द्वारा तहसीलदार, श्रीकरणपुर से निम्न सूचना चाही थी :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

पटवारियान के वेतन भत्तों एवं एरियार के बिलों के प्रथम पृष्ठ व अंतिम पृष्ठ की प्रमाणित प्रतियां जिस पर कोषाधिकारी द्वारा पारित आदेश हो। बिल नं., स्क्रोल न. व दिनांक नीचे अंकित है।

क्र.स.	बिल नम्बर व दिनांक	स्क्रोल नम्बर व दिनांक
1	42/25.08.76	2467/06.09.76
2	45/29.09.76	2952(1)1.10.76
3	55/30.10.76	3376(1)2.11.76
4	67/30.11.76	4376(1)17.12.76
5	78/30.12.76	4669(1)13.1.77
6	79/31.01.77	5030/7.2.77
7	92/28.02.77	5314(1)4.3.77
8	4/08.04.77	242/30.04.77
9	3/08.04.77	5859/28.01.77
10	104/24.03.77	595/21.4.77
11	10/25.04.77	2418/30.4.77
12	17/28.05.77	1839(1)1.6.77
13	29/27.06.77	2734/7.7.77
14	33/29.07.77	3357/15.8.77
15	56/23.08.77	4237(1)27.8.77
16	67/24.09.77	5471(1)29.9.77
17	79/29.10.77	7085(1)31.10.77
18	83/24.11.77	7481(1)24.11.77
19	93/26.12.77	8244/31.12.77
20	109/28.01.78	8954/31.1.78
21	120/24.01.78	9358(1)27.2.78
22	2/06.04.78	176/11.4.78
23	101/04.01.78	8921/7.1.78
24	19/15.05.78	-
25	7/24.04.78	339/27.4.78

उपरोक्त बिलों की प्रमाणित प्रतियां दिये जाने की कृपा करें।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

तहसीलदार (भू.अ.), श्रीकरणपुर ने अपने पत्रांक भू.अ./331 दिनांक 18.02.2019 (प्राप्ति दिनांक 20.02.2019) से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी का पूर्व में सूचना का अधिकार में सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र तहसील कार्यालस में प्राप्त नहीं हुआ है। इस कारण से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। वर्तमान में श्रीमानजी का प्रासांगिक पत्र दिनांक 18.02.2019 को प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर वांछित वेतन बिलों को जो कि लगभग 40 वर्ष पुराने है, को तलाशा जा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में आगामी तारीख पेशी पर वेतन बिलों के प्राप्त हो जाने पर वांछित नकलें सम्बन्धित को उपलब्ध करवा दी जायेगी। सूचना व आगामी कार्यवाही हेतं श्रीमानजी की सेवा में सादर प्रेषित है।

चूंकि अपीलार्थी का सूचना का अधिकार प्रार्थना पत्र इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार, श्रीकरणपुर को भेजे गए अपील पत्र के साथ दिनांक 18.02.2019 को प्राप्त हुआ है और तहसीलदार के अनुसार वांछित सूचनाओं से सम्बन्धित रिकॉर्ड लगभग 40 वर्ष पुराना है जो उकके द्वारा तलाश करवाया जा रहा है और उपलब्ध होते ही उनके द्वारा सूचनाएं उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया है।

चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) अन्तर्गत 30 दिवस के भीतर सूचना उपलब्ध करवाने अथवा न करवाने के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से प्रावधान दिये गये है:

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

<u>धारा 7 अनुरोध का निपटारा :</u>
(1) धारा 5 की उप धारा (2) के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंट के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 26.11.2018 के अनुसार चाही गई सूचनाएं अब तक उपलब्ध नहीं करवाई गई है जबकि वांछित सूचनाएं 30 दिवस में उपलब्ध करवाने अथवा न करवाने के सम्बन्ध में निस्तारण करने का प्रावधान है। तहसीलदार, श्रीकरणपुर के प्रस्तुत जवाब दिनांक 18.02.2019 को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की **अपील स्वीकार** की जाती है और लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीकरणपुर को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं अगर **देय है तो 15 दिन** में **नियमानुसार उपलब्ध करवाई जाये अन्यथा न दिये जाने पर प्रार्थी को कारण सहित सूचित किया जावे।** आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। **पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।**

यह आदेश आज दिनांक 20.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर